यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा ~~नम्बर~~ 78/2022 | तारीख दायर 08-12-2022 | तारीख फैसला 06/06/2023

उनवान :-

01. हरिन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह उम्र 52 साल जाति जाट निवासी ग्राम बोहडा खुर्द तहसील मानेसर जिला गुरूग्राम (हरियाणा) हाल काश्तकार ग्राम महेशरा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज)

---:: प्रार्थी

ब ना म

01. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार टपूकडा बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)

---:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: निर्णय ::-

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम महेशरा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित आराजी खसरा नम्बर 463/565 रकबा 1.26 है0 (हाल खसरा नम्बर 652/463 रकबा 1.23 है0) खसरा नम्बर 463/566 रकबा 0.59 है0 आराजी जो कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2073-76 मिन प्रार्थी व अन्य हिस्सेदारान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर मिन प्रार्थी मुताबिक हाल राजस्व रिकोर्ड जमाबदी अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल है, जिसका अमल हाल राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में हो रहा है। हाल राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संलगन प्रार्थना पत्र है। मिन प्रार्थी व अन्य हिस्सेदारान अपने उपरोक्त वर्णित तन्हा खातेदारी की आराजीयात पर शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजीयात से अन्य किसी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है।मिन प्रार्थी के उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान से लगती हुई अन्य व्यक्तियों की भूमि है, जिनके खातेदारान प्रार्थी की उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर की डौल को आये रोज बदनियती से तोडकर प्रार्थी के उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान को अपनी आराजी में मिलाने की कुचेष्टा में है तथा धमकी देते है कि उक्त डौल को तोडकर प्रार्थी की उक्त आराजीयात को अपनी आराजी में मिलाकर रहेगें। उक्त लोगों द्वारा मिन प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करके अपनी भूमि में मिलाने की, की जा रही कुचेष्टा के कारण मिन प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब तिजारा से वाके ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित अपनी कब्जे खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 463/565 रकबा 1.26 है0 (हाल खसरा नम्बर 652/463 रकबा 1.23 है0) खसरा नम्बर 463/566 रकबा 0.59 है0 की पैमाईश कराकर सीमाज्ञान कराने के लिए निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार साहब तिजारा (हाल टपूकडा) के आदेश कमांक 42 दिनांक 18.08.2021 की अनुपालना में दिनांक 01.11.2021 को हल्का पटवारी महेशरा व कानूनगो व राजस्व टीम ने मौके पर आकर मिन प्रार्थी व ग्राम वासियान की उपस्थिति में प्रार्थी की आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

...म्बर 457, 481, 482, 637/455 की
...आराजी खसरा नम्बर 463/565 की पूर्व दक्षिण कोना
...चलाकर 463/565 की पूर्व–उतर की तरफ मेढ कायम की गई।
...म0मु0चाह को मुरतकील बिन्दु मानते हुये खसरा नम्बर 463/565 का उत्तर–पश्चिम कोना कायम किया गया। इस कौने से जरीब चलाकर 463/565 की पश्चिमी–दक्षिण एवं खसरा नम्बर 463/566 की पश्चिम–उत्तर मेढ कायम की गई। उक्त पश्चिम दक्षिण मेढ पर बने कौने से पूर्व की तरफ जरीब चलाकर खसरा नम्बर 463/566 का पूर्व दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 478, 589/461, 463/566 पर तिमेडे को कायम किया। उक्त तिमेडे से खसरा नम्बर 463/566, 463/565 के बीच बनने वाली मेढ को कायम किया गया एवं जरीब चलाकर सीमाज्ञान कर मौका पर्चा रिपोर्ट पर वहां उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर कराकर, हल्का पटवारी व कानूनगों ने अपने हस्ताक्षर कर मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान तहसीलदार साहब तिजारा (हाल टपूकडा) के समक्ष पेश कर दी, जिसकी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। मिन प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजी से लगती हुई अन्य खातेदारों की आराजीयात के खातेदार लडाकू किस्म के व्यक्ति है, जो कानून कायदे की परवाह नहीं करते है और आये दिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करते रहते है व प्रार्थी की आराजी खसरा के साथ लगती हुई अपनी आराजी की आड में प्रार्थी की भूमि में मजाहमत एवं मदाखलत पैदा करते है। उक्त लोगों ने ऐसी कोशिश पूर्व में भी की थी तथा उक्त लोगों ने अब दिनांक 02.12.2022 को मिन प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की आराजीयात में मजाहमत व मदाखलत पैदा की एवं आराजी की डौल को तोडकर अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास किया तथा तो सीमाज्ञान कर निशानात कायम किया गया था, उसको अपने खसरा नम्बर में मिलाने व जबरन हडप करने की नीयत से गैरकानूनी तरीके से सीमाज्ञान के निशानात को मिटा दिया है, जबकि उक्त लोगों को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मौके पर आकर प्रार्थी ने उक्त लोगों को ऐसा करने से मना किया जो उक्त लोगों ने ऐलानियां तौर पर धमकी दी है कि हम तो तुम्हारी आराजी की सीमाज्ञान को मिसमार कर तुम्हारे हिस्से की भूमि को अपनी आराजी में मिलाकर रहेंगे, इसलिए प्रार्थी को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। मिन प्रार्थी अपने हाल आराजी खसरा नम्बर 463/565 रकबा 1.26 है0 (हाल खसरा नम्बर 652/463 रकबा 1.23 है0) खसरा नम्बर 463/566 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम महेशरा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) में अपने हिस्से में मुताबिक मौका पर्चा रिपोर्ट पत्थरगढी कराना चाहता है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम महेशरा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित प्रार्थी की खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 463/565 रकबा 1.26 है0 (हाल खसरा नम्बर 652/463 रकबा 1.23 है0) खसरा नम्बर 463/566 रकबा 0.59 है0 की मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 01.11.2021 मौके पर पत्थरगढी कराई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

... तहसीलदार टपूकडा को नोटिस

... बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

... अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 01.11.2021 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 463/565 रकबा 1.26 है0 (हाल खसरा नम्बर 652/463 रकबा 1.23 है0) खसरा नम्बर 463/566 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम महेशरा तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) की पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टपूकडा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0